

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// कार्य विभाजन आदेश //

कमांक 310...../दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 06/05/2026

माननीय रजिस्ट्री के आदेशानुसार इस स्थापना के अंतर्गत पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नवीन पदस्थापना होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-8 उपधारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश कमांक-448/दो-1-1/2000 दिनांक 22.07.2025 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:-

- 1 सरल कमांक 2 के स्तम्भ कमांक 2 में लिखी इबारत श्री सुरेन्द्र कुमार विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर श्री संदीप शर्मा, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) रीवा को स्थापित किया जाता है।
- 2 सरल कमांक 18 के स्तम्भ कमांक 2 में लिखी इबारत श्री यशपाल सिंह, 16 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर श्री जितेन्द्र नारायण सिंह, 16 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को स्थापित कर स्तम्भ कमांक 03 "सिविल खण्ड" में एवं स्तम्भ क0-4 की कंडिका कमांक 04 लगायत 06 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।
- 3 सरल कमांक 23 के स्तम्भ कमांक 2 में लिखी इबारत श्री हीरालाल अलावा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर श्री विवेक बुखारिया द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मऊगंज को स्थापित कर स्तम्भ कमांक 03 "सत्र खण्ड" में एवं स्तम्भ क0-4 की कंडिका कमांक 05 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है।
- 4 सरल कमांक 22 के स्तम्भ कमांक 02 श्री मनोज तिवारी, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के स्तम्भ कमांक 03 "सत्र खण्ड" में एवं स्तम्भ क0-4 की कंडिका कमांक 06 के पश्चात् कंडिका कमांक 07 निर्मित करते हुये निम्नलिखित इबारत जोड़ी जाती है :-
7. सिविल जिला रीवा के मऊगंज क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा- 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र।
- 5 सरल कमांक 6, सरल कमांक 8, सरल कमांक 15, सरल कमांक 24 लगायत 27, सरल कमांक 39, सरल कमांक 49, सरल कमांक 50, सरल 50 (अ), सरल कमांक 57, सरल कमांक 58, सरल कमांक 67, सरल कमांक 69, में संशोधित करते हुये निम्नानुसार स्थापित/निर्मित किया जाता है:-

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
रीवा			
6	श्री राजेन्द्र कु0 शर्मा (जू0), चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा	1-प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2. माह मई एवं जून में रुपये एक करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन व विविध प्रकरण। (तहसील त्योंथर/मऊगंज/सिरमौर/हनुमना की क्षेत्रीय अधिकारिता को छोड़कर) 3. थाना विश्वविद्यालय एवं सिविल लाइन की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र।
		सत्र खण्ड	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
8	श्री राम मनोहर सिंह डांगी, षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल जिला रीवा	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 एवं अन्य समस्त विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण । 3. हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम तथा पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण । 4. हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण । (क. 02 से 04 में कुटुम्ब न्यायालय रीवा एवं तहसील मउंगज, सिरमौर एवं त्योंथर न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
		सत्र खण्ड	यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र
15	श्री आशीष कुमार शुक्ला, 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधि.) रीवा	सत्र खण्ड रीवा	1. यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले रीवा जिले (सिविल जिला रीवा की तहसील मउंगज/त्योंथर/सिरमौर को छोड़कर) के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही । 3. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सम्पूर्ण जिला रीवा के क्षेत्राधिकार के समस्त थाना के अभियोग/परिवाद पत्र एवं जमानत आवेदन पत्र व अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियां, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम संबंधी अपराध भी शामिल हों ।
त्योंथर			
24	श्री दयाराम कुमरे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर	1-प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र । 2-रुपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण 3. समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित सिविल अपील तथा समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त विविध सिविल अपील । 4-थाना अंतरैला, जनेह, जवा, त्योंथर की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र । 5-प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण । 6-तहसील त्योंथर क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रुपए 500/- से अधिक व रुपए 1000/-से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत) ।

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
			7-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण।
		सत्र खण्ड	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2- माह फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर में तहसील त्योंथर के अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो त्योंथर में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा उपापित किये जाते हैं। 3- माह फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर में तहसील त्योंथर के समस्त थाना क्षेत्राधिकार की धारा 482 व 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र। 4-माह फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एवं दिसम्बर में त्योंथर क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानिया। 6-सिविल जिला रीवा के त्योंथर क्षेत्र के विद्युत अधिनियम 2003 की धारा- 153(1) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 7- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील त्योंथर क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही।
25	श्री वैभव सक्सेना जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश त्योंथर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा की तहसील त्योंथर	1-प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2- समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड त्योंथर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित सिविल अपीले तथा समस्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड त्योंथर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त विविध सिविल अपीले। 3-थाना पनवार, डभौरा, सोहागी एवं चाकघाट की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। 4-हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 5-पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6- भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2023 एवं भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। 7- माध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 8. मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीले।

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
		सत्र खण्ड	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा निराकरण हेतु अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दण्डिक पुनरीक्षण व अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2-माह जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर में तहसील त्योंथर के अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो त्योंथर में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारियों द्वारा उपापित किये जाते हैं। 3- माह जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर में तहसील त्योंथर के समस्त थाना क्षेत्राधिकार की धारा 482 व 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र। 4-माह जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर, नवम्बर में त्योंथर क्षेत्र में पदस्थ न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा निर्णीत अपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व निगरानिया। 5. अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील मुख्यालय त्योंथर के आदेश के विरुद्ध बी0एन0एस0एस0 की धारा 152, 164 एवं 165 के अधीन पारित आदेशों से उद्भूत दाण्डिक पुनरीक्षण। 6- मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 की धारा-52 के तहत उत्पन्न प्रकरण।
26	श्री राम सिंह कनौजिया, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर	सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर/सेमरिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2. रुपये 01 करोड़ से अधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 3. थाना सिरमौर, बैकुण्ठपुर, सेमरिया एवं गढ़ (सिरमौर क्षेत्राधिकार) की क्षेत्रीय अधिकारिता से उद्भूत समस्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले दावे और उक्त दावे से उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण व आवेदन पत्र। 4-हिन्दू विवाह अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम एवं भारतीय तलाक अधिनियम एवं अन्य समस्त विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण। 5-पालक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम तथा हिन्दू अवयस्कता एवं संरक्षकता अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6-माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 7. मध्यप्रदेश एकोमोडेशन कन्ट्रोल एक्ट, 1961 के अंतर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें। 8. प्रांतीय दीवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 9. रुपए 500/- से अधिक व रुपए 1000/-से अनाधिक मूल्य के लघुवाद प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)। 10. भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2023 एवं भू-अर्जन अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले संदर्भ व प्रकरण। 11. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रोबेट प्रकरण। 12. समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड सिरमौर द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाली समस्त नियमित एवं विविध अपीलें

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	प्रकरण का प्रकार	जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4	
		सत्र खण्ड	1-यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र 2- थाना सिरमौर, बैकुण्ठपुर, गढ़ एवं सेमरिया अधिकारिता क्षेत्र के सत्र प्रकरण जो सिरमौर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपापित किये जाते हैं। 3- थाना सिरमौर, बैकुण्ठपुर, गढ़ एवं सेमरिया क्षेत्राधिकार की धारा 482 एवं 483 बी.एन.एस.एस. के जमानत आवेदन पत्र। 4-सिरमौर क्षेत्र में पदस्थ समस्त न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा निर्णीत आपराधिक मामलों के विरुद्ध दाण्डिक अपीलें व दाण्डिक पुनरीक्षण। 5-मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की धारा-52 के तहत उत्पन्न प्रकरण। 6- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले तहसील सिरमौर क्षेत्र के समस्त थाना के अभियोग पत्र/परिवाद पत्र का विचारण, जमानत आवेदन पत्र एवं रिमाण्ड की कार्यवाही। 7. अनुविभागीय दण्डाधिकारी तहसील सिरमौर के आदेश के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 152, 164 एवं 165 के अधीन पारित आदेशों से उद्भूत दाण्डिक पुनरीक्षण।	
27	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर/सेमरिया सत्र खण्ड	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले सिविल प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले समस्त निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र	
रीवा				
39	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, रीवा	सिविल जिला रीवा की तहसील हुजूर /गुढ़/रायपुर कर्चुलियान	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।	
मऊगंज				
49	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज (रिक्त न्यायालय)			
50	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना/नईगढ़ी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. माह जुलाई से दिसम्बर में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण 3. माह जुलाई से दिसम्बर में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र।	
50 (अ)	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज	सिविल जिला रीवा की तहसील मऊगंज/हनुमना/नईगढ़ी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह जनवरी से जून में रुपये 05 लाख से अधिक और रुपये 01 करोड़ से अनाधिक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत सभी निष्पादन व विविध प्रकरण 3. माह जनवरी से जून में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम भाग 10 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकार के प्रकरण व आवेदन पत्र।	

क.	न्यायालय का प्रकार	प्रादेशिक अधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
1	2	3	4
			4. म0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाली अपीले। 5. रुपये दो सौ से अधिक और रुपये 5 सौ से अनाधिक मूल्य के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
हनुमना			
57	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना	सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना	01. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 02. <u>माह जुलाई से दिसम्बर तक</u> रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण
58	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड हनुमना के अतिरिक्त न्यायाधीश हनुमना	सिविल जिला रीवा की तहसील हनुमना	01. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण। 2. <u>माह जनवरी से जून तक</u> रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण 3-रुपये दो सौ मूल्य तक के लघु वाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)
सिरमौर			
67	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर -	सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर/सेमरिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह जुलाई से दिसम्बर में रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण।
69	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड सिरमौर	सिविल जिला रीवा की तहसील सिरमौर/सेमरिया	1. प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित प्रकरण एवं उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 2. माह जनवरी से जून में रुपये 01 से रुपये 05 लाख तक मूल्य के सभी प्रकार के व्यवहार वाद प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन व विविध प्रकरण। 3- रुपये दो सौ मूल्य तक के लघुवाद स्वरूप के प्रकरण व उनसे उत्पन्न निष्पादन व विविध प्रकरण (धारा 9 द्वारा अधिकृत)

5 सरल क्रमांक 70 के पश्चात् अंकित नोट की कंडिका क्रमांक 6, 7, 11 एवं 22 को संशोधित किया जाकर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

6. 19 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा (रिक्त न्यायालय) के पूर्व में निराकृत हुये आपराधिक, सिविल प्रकरण (क्लेम प्रकरण सहित) एवं उनसे संबंधित आवेदन तथा भुगतान की समस्त कार्यवाही व उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किए गए हैं, का निराकरण 14 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।

7. पाक्सों अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित पाक्सों न्यायालय द्वारा पूर्व में निराकृत हुये पाक्सों अधिनियम से संबंधित आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन से उद्भूत विविध प्रकरण अथवा आवेदन एवं उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किए गए हैं, 13 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो अधिनियम) द्वारा किया जावेगा।

7(अ). माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक-ए/1976/(ExclusivePOCSO)/III-6-5/2010(FTSCS) C.S.S.जबलपुर दिनांक-29.04.2026 के द्वारा श्री आशीष कुमार शुक्ला, 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को POCSO Act 2012 exclusively से संबंधित प्रकरणों की सनुवाई का क्षेत्राधिकार प्रदान किये जाने के फलस्वरूप उक्त न्यायालय से दिनांक 05.05.2026 के पूर्व में निराकृत हुये सिविल प्रकरण (क्लेम प्रकरण सहित) एवं उनसे संबंधित आवेदन तथा भुगतान की समस्त कार्यवाही व उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किए गए हैं, का निराकरण चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा किया जावेगा।

11. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज/हनुमना, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड/अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज की न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त है या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हैं, उक्त रिक्त न्यायालयों से संबंधित समस्त आवश्यक कार्य के निराकरण हेतु क्रमशः तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मउगंज, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मउगंज को अधिकृत किया जाता है।

22. मेरे अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में न्यायिक कार्य के निरंतर व सुचारु रूप से रखे जाने के दृष्टिकोण से अभियुक्त/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति संबंधी प्रतिभूति आवेदन पत्र (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 2012) से सम्बन्धित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर विशेष न्यायाधीश (पाक्सों)/13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के न्यायालय में एवं महिलाओं के विरुद्ध विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप) से संबंधित जमानत आवेदन पत्रों को पुलिस डायरी/अभिलेख प्राप्त होने पर 17 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ओ0ए0डब्लू0) रीवा के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्रों को सुनवाई व निराकरण हेतु स्वयमेव अन्तरित माने जावेंगे। इस प्रयोजन स्वरूप उनके अवकाश या मुख्यालय से बाहर रहने की दशा में ऐसे आवेदन उनके कार्य विभाजन पत्रक अनुसार अनुपस्थिति में पीठासीन अधिकारी कार्य देखेंगे।

6. परिशिष्ट-अ की कंडिका क्रमांक 6, 7, 13, 16, 17, 24, 25, 33 (अ), 34 एवं कंडिका 38 लगायत 41 को विलोपित किया जाकर कंडिका क्रमांक 6, 7, 7(अ), 16, 17, 24, 25, 33 (अ), 34, 34 (अ) एवं 38 लगायत 41 में निम्नानुसार पढ़ा जावे :-

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
6	चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. षष्ठम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
7	पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सरल क्रमांक 70 के पश्चात् अंकित नोट क्रमांक 04
7 अ	षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. सप्तम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. अष्टम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
13	13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 17वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
16	16वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. षष्ठम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. 17 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
17	17 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	1. 13वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा 2. प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा
24	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर	1. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा 2. चतुर्थ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
25	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश सिरमौर	1. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर 2. द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश रीवा
33 (अ)	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
34	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

क.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखेंगे
34 (अ)	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. अष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. नवम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
38	द्वितीय व्यव0 न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज	1. तृतीय व्यव0 न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा
39	तृतीय व्यव0 न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज	1. द्वितीय व्यव0 न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज 2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड रीवा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश रीवा
40	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	1. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज 2. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज
41	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज

शेष आदेश यथावत रहेगा।

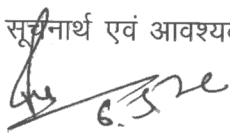

(राकेश मोहन प्रधान)
 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक- 2347 / दो-1-1 / 2000

रीवा, दिनांक 06 / 05 / 2026

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा / मऊगंज / त्यौथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा / मऊगंज / त्यौथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां।
3. फाईलिंग काउंटर के समस्त कर्मचारी रीवा / मऊगंज / त्यौथर / सिरमौर / हनुमना / मनगवां।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. जू0सि0ए0 / डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
की ओर वेबसाईट में अपलोड एवं संबंधित को ई-मेल किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
 रीवा (म0प्र0)